2025:CGHC:44940

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 527/2008

श्रीमती मंगरिटा मिंज, पति श्री जोसेफ मिंज, आयु लगभग 36 वर्ष, व्यवसाय– श्रमिक, निवासी ग्राम– बोडोकछार, तहसील– कुनकुरी, जिला– जशपुर (छत्तीसगढ़)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना– कुनकुरी, जिला– जशपुर (छत्तीसगढ़)

...प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	: श्री ईश्वर जायसवाल, अधिवक्ता, विधिक सेवा के माध्यम से उपस्थित।
राज्य की ओर से	: सुश्री नंदकुमारी कश्यप, पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

बोर्ड पर निर्णय

03.09.2025

1. इस प्रकरण की लंबित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, जो कि वर्ष 2008 से लंबित है और आज जब प्रकरण सुनवाई के लिए पुकारा गया, तो अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः, इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री ईश्वर जायसवाल को न्यायालय की सहायता करने और अपीलार्थी की ओर से प्रकरण का संचालन करने हेतु निर्देशित करता है।

2. सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी की ओर से प्रकरण का संचालन करने हेतु अधिवक्ता श्री ईश्वर जायसवाल को नियुक्त करें और इस संबंध में प्राधिकार पत्र भी जारी किया जाए।

3. यह अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अधीन विद्वान सत्र न्यायाधीश, जशपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 64/2007 में दिनांक 24.05.2008 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उक्त न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया एवं निम्नानुसार दंडित किया था:–

दोषसिद्धि	दंडादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–II के अधीन	10 वर्ष का कठोर कारावास

4. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी जोसेफ मिंज (अभियोजन साक्षी–6) की द्वितीय पत्नी है, जबकि मृतका उसकी प्रथम पत्नी थी। दिनांक 17.07.2006 को अपीलार्थी और मृतका के मध्य कहा–सुनी हुई और उस प्रक्रिया में अपीलार्थी ने मृतका शिलबानी के पेट और सीने पर लात मारी,

जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। जोसेफ मिंज (अभियोजन साक्षी–6) द्वारा दिनांक 18.07.2006 को मर्ग सूचना दर्ज कराई गई। मृतका के शव का मृत्यु समीक्षा तैयार किया गया और शव को शव परीक्षण हेतु भेजा गया। साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और चिकित्सक से क्वेरी की गई। तत्पश्चात, थाना कुनकुरी की पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान, आरक्षक दिनेश पाण्डेय से वस्तुओं के तीन सीलबंद पैकेट जब्त किए गए और उन्हें रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। सम्यक और आवश्यक विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, संबंधित अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण हेतु उपार्पित किया। अभियोग–पत्र में निहित सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन कथित अपराध के लिए आरोप विरचित किए। अपीलार्थी ने दोष अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा।

5. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन ने कुल 07 साक्षियों का परीक्षण किया है। अपीलार्थी का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध विरचित अभियोगात्मक आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। यद्यपि, उसने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी को इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया। अतः, यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश प्रकरण के तथ्यों, विधि और परिस्थितियों के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय को यह विचार करना चाहिए था कि चोटें केवल पैर से लगी थीं और इस प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–II की कोई भी घटक आकृष्ट नहीं होता है। विद्वान विचारण न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि डॉ. संगीता तिर्की (अभियोजन साक्षी–1) के अनुसार, मृत्यु का कारण प्लीहा का फटना है और यह किसी कठोर और बोथरे सतह या वस्तु पर गिरने के कारण भी हो सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय डॉ. संगीता तिर्की (अभियोजन साक्षी–1) के उस कथन पर विचार करने में असफल रहा कि किसी बीमारी के कारण प्लीहा बढ़ गया था और यह संभव हो सकता है कि इसी कारण से वह फट गया हो; यद्यपि, चिकित्सक ने कहीं भी यह अभिमत नहीं दिया है कि प्लीहा का फटना मृतका को मारी गई लात के कारण ही हुआ था। इसके अतिरिक्त, मृतका के पति जोसेफ मिंज (अभियोजन साक्षी–4) ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और उसे इस प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित किया गया है, यद्यपि उसने यह स्वीकार किया है कि मृतका घटना से 3–4 दिन पहले बीमार थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि यदि संपूर्ण साक्ष्य को उसके यथास्थिति पर भी स्वीकार कर लिया जाए, तो भी अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग–II के अधीन अपराध नहीं बनता है और अधिक से अधिक अभियुक्त का कृत्य मृतका को स्वेच्छया घोर उपहति पहुँचाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 की परिधि में आता है, परंतु विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 304 भाग–II के अधीन त्रुटिपूर्ण दोषसिद्ध किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क किया कि घटना वर्ष 2006 में हुई थी और तब से 18 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत चुका है। अभियुक्त/अपीलार्थी 1 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रह चुकी है और उसे फिर से जेल भेजने से कोई उपयोगी प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी, विशेषकर तब जब उसने जमानत पर रहने के दौरान अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। अतः, न्याय के हित में यह उचित होगा कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 में परिवर्तित करते हुए उसे प्रदत्त दण्ड को उसके द्वारा पूर्व ही भुगती गई अवधि तक कम किया जाए। अतः, वर्तमान अपील पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

8. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया कि अभियोजन अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना करने के पश्चात और चिकित्सक के कथन को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी को उपरोक्त अपराध के लिए उचित रुप से दोषसिद्ध किया है। यह अपराध को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–II से धारा 325 में परिवर्तित करने का प्रकरण नहीं है जहाँ अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कम अपराध के लिए संशोधित किया जा सके; अतः, वर्तमान अपील खारिज होने योग्य है।

9. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए थे और मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध किया।

10. अंजुलुस मिंज (अभियोजन साक्षी–6) ने कथन किया है कि घटना के दिन अर्थात् दिनाँक 17.07.2006 को शाम लगभग 6:00 बजे, उसने झगड़े की आवाज सुनी और मृतका शिलबानी किसी से अपनी जान बख्शने की गुहार लगा रही थी ("मत मारो"), तब वह मृतका के घर में दाखिल हुआ, जो पहले से खुला था, और देखा कि अपीलार्थी मृतका के पेट पर लातों से प्रहार कर रही थी और बाद में उसे पता चला कि मृतका की मृत्यु हो गई है।

11. जोसेफ मिंज (अभियोजन साक्षी–4) और अविनाश टोप्पो (अभियोजन साक्षी–5) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है, जिसके कारण अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उनसे प्रति–परीक्षण किया, यद्यपि, उन्होंने अभियोजन के सभी सुझावों से इनकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अंजुलुस मिंज (अभियोजन साक्षी–6) के कथन से यह स्पष्ट है कि मृतका और अपीलार्थी के मध्य कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसमें अपीलार्थी ने मृतका के पेट पर लातों से प्रहार किया था।

13. डॉ. संगीता तिर्की (अभियोजन साक्षी–1), जिन्होंने मृतका का शव परीक्षण किया था, ने यह अभिमत दिया कि मृतका की मृत्यु का कारण प्लीहा के बढ़ने और फटने के कारण हुआ रक्तस्राव था। मृत्यु की प्रकृति अनिश्चित थी, इसलिए उन्होंने पुलिस जांच की सलाह दी और रासायनिक परीक्षण हेतु विसरा को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी/1 के रूप में प्रस्तुत की।

14. चिकित्सक (अभियोजन साक्षी–1) के कथन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने यह अभिमत नहीं दिया है कि मृत्यु प्रकृति में मानव–वध थी, बल्कि उन्होंने यह अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण प्लीहा का बढ़ना और फटना था। उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उन्हें मृतका के शरीर पर केवल एक चोट मिली और बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि प्लीहा किसी बीमारी के कारण बढ़ गया था। क्वेरी रिपोर्ट (प्र.पी./2) में, उन्होंने अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण प्लीहा का फटना था और यह किसी कठोर और बोथरे सतह या वस्तु पर गिरने के कारण भी हो सकता है। परंतु, विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की विवेचना नहीं की। अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे मानव–वध साबित करने में असफल रहा है। चिकित्सक अभियोजन साक्षी–1 ने भी कथन किया कि मृत्यु की प्रकृति अनिश्चित थी, जिसकी संपुष्टि चक्षुदर्शी साक्षी अंजुलुस मिंज (अभियोजन साक्षी–6) के कथन से भी होती है, जिसने कथन किया है कि अपीलार्थी ने मृतका पर हमला करते समय किसी हथियार का उपयोग नहीं किया था और अपीलार्थी मृतका के पेट पर लात मारकर हमला कर रही थी।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **लाल मंडी विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1995)**[1] के प्रकरण के कण्डिका 8 में यह अभिनिर्धारित किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

> "8. अभियोजन साक्षी 2, 5 और 8 के परिसाक्ष्य से जो एकमात्र सुसंगत साक्ष्य उभर कर सामने आता है, वह यह है कि अपीलार्थी ने मान सिंह के घर पर मृतक को एक लात मारी थी। शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पसलियों के टूटने और एक फटे हुए घाव के अलावा मृतक के शरीर पर चार कटे हुए घाव थे। मृतक की पसलियों के टूटने का श्रेय अपीलार्थी और उसके सह–अभियुक्त को दिया गया है। इस प्रकार, अपीलार्थी को केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325/34 के अधीन अपराध के दायित्व से ही आबद्ध किया जा सकता है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य, अपीलार्थी को धारा 302/34 और धारा 201 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किए जाने को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं।"

16. वर्तमान प्रकरण में, स्वयं अभियोजन की कहानी के अनुसार, अपीलार्थी ने मृतका शिलबानी पर लातों से हमला किया था और चिकित्सक ने मृतका के शरीर पर केवल एक चोट पाई थी तथा मृत्यु का कारण अनिश्चित था। इस प्रकार, चक्षुदर्शी (अभियोजन साक्षी–6) के कथन और डॉ. संगीता तिर्की (अभियोजन साक्षी–1) द्वारा दी गई शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) एवं क्वेरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/2) को दृष्टिगत रखते हुए, यह पूर्णतया स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु उसकी बढ़ी हुई प्लीहा के फटने के कारण हुई थी। अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि मृतका की प्लीहा अपीलार्थी के हमले के कारण फटी थी या यह किसी कठोर और बोथरे सतह या वस्तु पर गिरने के कारण फटी थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. अतः, मृतका शिलबानी की हत्या या आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता कारित करने के लिए अभियुक्त पर न तो किसी आशय और न ही किसी ज्ञान का आरोप लगाया जा सकता है। अधिक से अधिक, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन अपराध साबित होता है, क्योंकि अभियुक्त ने स्वेच्छया मृतका को घोर उपहति कारित की थी।

18. इस प्रकार, प्रकृति और चोट की सीमा तथा अभियोजन साक्षियों के कथनों पर विचार करते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग–II के परिधि में नहीं आता है, बल्कि उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन दोषसिद्ध किए जाने के लिए उत्तरदायी बनाता है।

19. प्रकरण के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग–II के अधीन अभिलिखित दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता। अतः,यह अभिखण्डित एवं अपास्त किया जाने योग्य है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतका शिलबानी को स्वेच्छया घोर उपहति पहुँचाने हेतु केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन अपराध कारित किया है। इस प्रकार, अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग–II के अधीन से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 में परिवर्तित किया जाता है।

20. जहाँ तक दण्ड की मात्रा का प्रश्न है, इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि घटना वर्ष 2006 में हुई थी और यह अपील 2008 से लंबित है; अपीलार्थी विचारण के दौरान जमानत पर थी और इस अपील

---

1 (1995) 3 SCC 603

के लंबित रहने के दौरान भी ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है कि उसने अपने प्राप्त जमानत का कभी दुरुपयोग किया हो; अपीलार्थी की आयु अब 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है और वह 1 वर्ष से अधिक समय जेल में व्यतीत कर चुकी है। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का यह अभिमत है कि इस स्तर पर उसे पुनः जेल भेजने से कोई उपयोगी प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी और न्याय के प्रयोजन की पूर्ति होगी यदि उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन अपराध के लिए उसके द्वारा पूर्व ही भुगती गई अवधि तक दण्ड दिया जाए।

21. फलस्वरूप, यह दाण्डिक अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–II के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और इसके स्थान पर उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है तथा उसे उसके द्वारा पूर्व ही भुगती गई अवधि तक दण्डित किया जाता है। आक्षेपित निर्णय को उपरोक्त दर्शित सीमा तक संशोधित किया जाता है।

22. अपीलार्थी के जमानत पर होने की सूचना है। तथापि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, अपीलार्थी को संबंधित न्यायालय के समक्ष 25,000/– रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की एक प्रतिभूति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है,जो छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे। साथ ही, एक वचनबद्धता भी होगी कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर होने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, सूचना प्राप्त होने पर उक्त अपीलार्थी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

23. इस निर्णय की एक प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय के अभिलेख को अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(रजनी दुबे)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**